(3)

न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़।

पीठासीन अधिकारी :– उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस

प्रकरण सं0 01/2025

अनवानीः– राजस्थान राज्य

बनाम

1 बन्दी बिशन सिंह पुत्र मनीराम जाति राजपुत निवासी गांव 1 आरपीएम चक जसराना पुलिस थाना नोहर जिला हनुमानगढ।

2 चन्द्रकला पत्नी हरीसिंह जाति राजपूत निवासी 2 आरटीएम पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

3. ओमप्रकाश पुत्र मंगतूराम जाति जाट निवासी 6 आरपीएम पिचकराई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

(जमानतदार)

प्रकरण अर्न्तगत धारा 446 सीआरपीसी

उपस्थितः–

1:–अभियोजन अधिकारी ।

2:–श्री शिवराज सिंह खोसा अभिभाषक अप्रार्थी 2 व 3

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

–निर्णय–

दिनांकः–11.09.2025

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि संभागीय आयुक्त हिसार द्वारा बन्दी बिशन सिंह को चार सप्ताह का पेरोल अवकाश स्वीकृत किया गया। इस आदेश की पालना में बन्दी की ओर से अप्रार्थी सं. 1 व 2 प्रत्येक द्वारा 2,00,000/– रूपये के जमानत प्रस्तुत करने पर जमानत तस्दीक कर जिला कलक्टर एव जिला मजि0 हनुमानगढ द्वारा बन्दी का मुचलकानामा सलंग्न कर Superinendent Central jail-2 Hisar, (Haryana) को पत्रांक 964 दिनांक 16.03.2022 से भिजवाया गया। तत्पश्चात् Superinendent Central jail-2 Hisar, (Haryana) के पत्रांक 4815 दिनांक 01.08.2022 से अवगत कराया कि बन्दी पेरोल अवधि दिनांक 16.03.2022 से 14.04.2022 व्यतीत करने के बाद 11 दिन की देरी से दिनांक 25.04.2022 को जेल में उपस्थित हुआ है। इसलिए बन्दी के संबंध में प्रस्तुत जमानतनामा में उल्लेखित राशि को जब्त किया जावे।

प्रथमतः प्रकरण न्याय शाखा कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ में दायर हुआ। प्रभारी अधिकारी न्याय शाखा कलै0 हनुमानगढ़ के पत्रांक 2059 दिनांक 19.06.2025 से यह प्रकरण इस न्यायालय को प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

अप्रार्थी सं0 1 एवं 2 द्वारा अपना जबाब जरिये अभिभाषक प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्रीमान न्यायालय द्वारा केन्द्रीय कारागृह हिसार में बंदी बिशन सिंह पुत्र मनी सिंह की पैरोल दिनांक 15.03.2022 को स्वीकृत की गई थी तथा 2–2 लाख रूपये की जमानत पेश करने के आदेश दिये गये थे। उक्त पैरोल स्वीकृत कुल 28 दिन की मंजूर की गई थी और बंदी बिशन सिंह को दिनांक 13.04.2022 को पुनः दाखिल जेल होना था। बंदी बिशन सिंह की पैरोल स्वीकार होने के बाद बंदी बिशन सिंह अपने घर आया तथा अपने पुत्र दिनेश सिंह व जय सिंह की शादी तय की गई। उक्त शादी मुहर्त अनुसार दिनांक 21 अप्रेल 2022 को तय हुई और बंदी दिनांक 24.04.2022 को पुनः दाखिल जेल स्वयं हो गया था। बंदी बिशन सिंह की पैरोल प्रार्थी व चन्द्रकला द्वारा जमानतमामा पेश किया गया था। बंदी बिशन सिंह पुनः कारागृह में जाने हेतु 10 दिन का अतिरिक्त समय लग गया जो कि बिशन सिंह के पुत्रगण

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ

दिनेश सिंह व जय सिंह की शादी दिनांक 21.04.2022 को होने की वजह से पैरोल अवधि में वापिस कारागृह में दाखिल नहीं हो सका। प्रार्थी बिशन सिंह ने विशेष रूप से ही शादी के लिए ही पैरोल मंजूर करवाया था। चूंकि शादी 7 दिन बाद होने के कारण पुनः दाखिल जेल होने में 10 दिन का समय व्यतीत हो गया। इसी दौरान प्रार्थी ने अपनी पैरोल अवधि बढाने के लिए माननीय पंजाब एण्ड हरियाणा उच्च न्यायालय चण्डीगढ में आवेदन पत्र पेश किया जो दिनांक 08.04.2022 को निर्देशित किया गया कि पक्षकारान अपना पक्ष सक्षम अधिकारिता रखने वाले अधिकारी के समक्ष पेश होवे जिससे पैरोल अवधि बढ़ाई जा सके लेकिन शादी का समय ज्यादा नजदीक होने की वजह से सक्षम अधिकारी के समक्ष पेश नहीं हो सके। जमानती चन्द्रकला व ओमप्रकाश दोनो काश्तकार पेशा व मजूदरी पेशा है जो न्यायालय द्वारा 2 लाख रूपये की जमानत को अदा करने में किसी प्रकार से सक्षम नहीं है। बंदी बिशन सिंह को कुल 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया था जिसमें से लगभग 8 वर्ष का कारावास भुगत चुका है तथा कुछ ही समय शेष है जो बंदी अपनी सजा पूरी करना चाहता है तथा कर रहा है। बंदी बिशन सिंह द्वारा उचित कारण वश ही पुनः दाखिल जेल नहीं हो सका तथा बिशन सिंह के पुत्रगण की शादी के दो दिन बाद दिनांक 24.04.2022 को स्वयं बंदी दाखिल जेल हो गया, इसके उपरांत भी श्रीमान न्यायालय द्वारा उक्त नोटिस प्रार्थी को जारी किया गया है जो कि काबिल निरस्ती है। उक्त समस्त परिस्थितियों को देखते हुए जमानती ओमप्रकाश व चन्द्रकला के खिलाफ की गई नोटिस की कार्यवाही को निरस्त किया जाना उचित होगा। अतः जबाव नोटिस पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खिलाफ जारी नोटिस की कार्यवाही को निरस्त किया जावे।

बहस सुनी गयी। अभियोजन अधिकारी ने अपनी बहस में कथन किया कि बन्दी को पेरोल अवधि में जमानतदारों द्वारा जमानत मुचलके पेश होने पर बन्दी को पेरोल के लिए रिहा किया गया था । बन्दी का निश्चित समय पर संबंधित जेल में उपस्थित नहीं होने के कारण बन्दी के जमानतदारों द्वारा दी गयी जमानत राशि जब्त की जानी उचित होगी।

अभिभाषक अप्रार्थीयान द्वारा अपने जबाब में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि श्रीमान न्यायालय द्वारा केन्द्रीय कारागृह हिसार में बंदी बिशन सिंह पुत्र मनी सिंह की पैरोल दिनांक 15.03.2022 को स्वीकृत की गई थी तथा 2–2 लाख रूपये की जमानत पेश करने के आदेश दिये गये थे। उक्त पैरोल स्वीकृत कुल 28 दिन की मंजूर की गई थी और बंदी विशन सिंह को दिनांक 13.04.2022 को पुनः दाखिल जेल होना था। बंदी विशन सिंह की पैरोल स्वीकार होने के बाद बंदी बिशन सिंह अपने घर आया तथा अपने पुत्र दिनेश सिंह व जय सिंह की शादी तय की गई। उक्त शादी मुहर्त अनुसार दिनांक 21 अप्रेल 2022 को तय हुई और बंदी दिनांक 24.04.2022 को पुनः दाखिल जेल स्वयं हो गया था। बंदी बिशन सिंह की पैरोल प्रार्थी व चन्द्रकला द्वारा जमानतमामा पेश किया गया था। बंदी बिशन सिंह पुनः कारागृह में जाने हेतु 10 दिन का अतिरिक्त समय लग गया जो कि बिशन सिंह के पुत्रगण दिनेश सिंह व जय सिंह की शादी दिनांक 21.04.2022 को होने की वजह से पैरोल अवधि में वापिस कारागृह में दाखिल नहीं हो सका। प्रार्थी बिशन सिंह ने विशेष रूप से ही शादी के लिए ही पैरोल मंजूर करवाया था। चूंकि शादी 7 दिन बाद होने के कारण पुनः दाखिल जेल होने में 10 दिन का समय व्यतीत हो गया। इसी दौरान प्रार्थी ने अपनी पैरोल अवधि बढाने के लिए माननीय पंजाब एण्ड हरियाणा उच्च न्यायालय चण्डीगढ में आवेदन पत्र पेश किया जो दिनांक 08.04.2022 को निर्देशित किया गया कि पक्षकारान अपना पक्ष सक्षम अधिकारिता वाले अधिकारी के समक्ष पेश होवे जिससे पैरोल अवधि बढ़ाई जा सके लेकिन शादी का समय ज्यादा नजदीक होने की वजह से सक्षम अधिकारी के समक्ष पेश नहीं हो सके। जमानती चन्द्रकला व ओमप्रकाश दोनो काश्तकार पेशा व मजूदरी पेशा है जो न्यायालय

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ

द्वारा 2 लाख रूपये की जमानत को अदा करने में किसी प्रकार से सक्षम नहीं है। बंदी बिशन सिंह को कुल 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया था जिसमें से लगभग 8 वर्ष का कारावास भुगत चुका है तथा कुछ ही समय शेष है जो बंदी अपनी सजा पूरी करना चाहता है तथा कर रहा है। बंदी बिशन सिंह द्वारा उचित कारण वश ही पुनः दाखिल जेल नहीं हो सका तथा बिशन सिंह के पुत्रगण की शादी के दो दिन बाद दिनांक 24.04.2022 को स्वयं बंदी दाखिल जेल हो गया, इसके उपरांत भी श्रीमान न्यायालय द्वारा उक्त नोटिस प्रार्थी को जारी किया गया है जो कि काबिल निरस्ती है। उक्त समस्त परिस्थितियों को देखते हुए जमानती ओमप्रकाश व चन्द्रकला के खिलाफ की गई नोटिस की कार्यवाही को निरस्त किया जाना उचित होगा। अतः जबाव नोटिस पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खिलाफ जारी नोटिस की कार्यवाही को निरस्त किया जावे। बहस के समर्थन में Cr.L.R. 2011(1) (Raj) Page 514 न्यायीक दृष्टांत पेश किया

बहस पर मनन किया गया। है। बन्दी को स्वीकृत पैरोल पर रिहा करने के लिए अप्रार्थी सं. 2 व 3 द्वारा जमानत प्रस्तुत की गयी थी। जमानतदार का दायित्व था कि वे बन्दी को नियत दिनांक को संबंधित कारागार में उपस्थित करवाते परन्तु जमानतदारों द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है । धारा 446 सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार जमानतदार द्वारा दी गयी जमानत राशि जब्त की जा सकती है। ऐसी स्थिति में बन्दी के पक्ष में अप्रार्थी सं. 2 व 3 द्वारा दी गयी जमानत राशि जब्त की जानी उचित है।

अतः बन्दी की पेरोल अवधि के लिए अप्रार्थी 2 एवं 3 द्वारा दी गयी जमानत 200000/— 200000/ राशि जब्त की जाती है। जमानत राशि वसूल करने हेतु प्रभारी अधिकारी जिला राजस्व लेखा शाखा कलक्ट्रेट हनुमानगढ को निर्णय की एक प्रति जमानत राशि वसूल करने बाबत व प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग कलक्ट्रेट हनुमानगढ व Superinendent Central jail-2 Hisar, (Haryana) को निर्णय की प्रति सूचनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़